प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

21 दिसंबर, 2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संघ सरकार (राजस्व विभाग - सीमा शुल्क) पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार (राजस्व विभाग -सीमा शुल्क) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेशी व्यापार महानिदेशक पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 की संख्या 30 आज संसद प्रस्तुत की गई।

इस प्रतिवेदन में ₹86 करोड़ के राजस्व प्रभाव के 105 पैराग्राफ शामिल हैं। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए गए 105 मामलों में से 50 में प्रतिक्रिया दी है। ₹71 करोड़ के धन मूल्य वाले 93 पैराग्राफों में, कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस पर अधिनिर्णयन करने के रूप में विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और 59 मामलों में ₹65 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

प्रतिवेदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हैं:

I. वि.व. 21 के दौरान लेखापरीक्षा ने 1,424 अभ्युक्तियों वाली 198 निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को जारी कीं, जिसमें कुल ₹441 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। इनमें से, वि.व. 21 के दौरान ₹86 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 105 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। शेष मामलों का संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए गए 105 मामलों में से 50 में प्रतिक्रिया दी है। इसके अतिरिक्त, 43 मामलों में, स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/ क्षेत्रीय प्राधिकरणों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। मंत्रालयों/विभागों ने 93 पैराग्राफ स्वीकार किए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णयन के रूप में ₹71 करोड़ के धन मूल्य को शामिल करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 59 मामलों में ₹65 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

{*पैराग्राफ* 2.6}

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैंरिफ अधिनियम और टैंरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन।

II. बार-बार अनुरोध के बावजूद वि.व. 19, 20 और 21 के आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अखिल भारतीय डेटा प्राप्त नहीं हुए। अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी डेटा के अभाव में भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के सीआरए मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई थी, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। सीआरए और आईसीआरए मॉड्यूल की सीमाओं के बारे में सीबीआईसी को भी सूचित किया गया था। तदनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय के परिणाम सीमित लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे जो 32 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष दौरों द्वारा की गई थी।

नमूनों का चयन अखिल भारतीय डेटा के अभाव में पृथक क्षेत्रीय संरचनाओं के स्तर पर किया गया था, जो उप-इष्टतम है। सीमा शुल्क आयुक्तालयों में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व प्रभाव वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित आयुक्तालयों को लघु अभ्युक्तियाँ जारी की गई थीं।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन के मामलों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- आयातों का गलत वर्गीकरण (**पैराग्राफ 3.6.1 से 3.6.15)**
- अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.5)**
- अन्य अनियमितताएं **(पैराग्राफ 3.8)**

लेखापरीक्षा में आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग और लागू शुल्कों और अन्य प्रभारों के गलत उद्ग्रहण के कारण लागू सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 88 मामले देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹75 करोड़ का राजस्व जोखिम में था।

{पैराग्राफ 3.6 से 3.8}

(क) प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा में कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मुद्दों को देखा गया जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) ने स्वीकृति दी जबकि निर्धारित आयात शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। आरएमएस को ऐसे मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि

निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन किया जा सके तथा एक बार बीई के प्रणाली से गुजरते ही लागू शुल्क को स्वत: प्रभारित किया जा सके।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है तथा प्रतिवेदन के अध्याय III में भी इन पर चर्चा की गई है।

(i) "नारंगी (किन्नू) जूस" का "संतरा जूस" के रूप में गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 3.6.1)**

(ii) स्विचिंग और रूटिंग उपकरण सहित ध्वनि, छवियों अथवा अन्य डेटा के अभिग्रहण, रूपांतरण और संचारण अथवा पुनर्निर्माण हेतु मशीनों का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 3.6.3 तथा 3.6.6)**

(iii) डीज़ल इंजन के पुर्ज़ों के आयातों पर आईजीएसटी दर का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 3.7.1)**

(ख) अनवरत अनियमितताएं

गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को भेजे गए निर्यात आय की प्राप्ति ना होने तथा आयातों के गलत वर्गीकरण के ऐसे मामलों का सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं में पाया जाना, सीबीआईसी के आश्वासनों कि उन्होंने अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को इसी तरह के मुद्दों को सावधानी से जाँच करने हेतु संवेदनशील बनाया है, के बावजूद जारी रहा है।

कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) 'नेटवर्क इंटरफेस कार्डों' का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 3.6.4)**

(ii) "स्मार्ट घड़ियों" का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 3.6.5)**

(iii) अप्राप्त निर्यात आय के मामलों में प्रतिअदायगी की वसूली न करना **(पैराग्राफ 3.8.1)**

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

III. 17 क्षेत्रीय प्राधिकरणों और आठ विकास आयुक्तों की नमूना जांच लेखापरीक्षा में निर्धारित नियमों, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं और निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों का पता चला। ₹11 करोड़ का राजस्व उन निर्यातकों/आयातकों से देय था जिन्होंने विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत शुल्क का लाभ उठाया था लेकिन निर्धारित दायित्वों/शर्तों को पूरा नहीं किया है।

***{पैराग्राफ* 4.2.1 *से* 4.2.2}**